



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

**MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION**

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा 2018/6500

दिनांक 15-06-2018

## संशोधित सूचना

परीक्षा मई-जून 2018 के समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंक एवं पीजीडीसीए/डीसीए के प्रायोगिक अंक ऑनलाइन भरने के निर्देश एवं अंतिम तिथि परिपत्र क्रमांक 6309 दिनांक 26-04-2018 के द्वारा जारी किये गये थे। इसके अनुसार दिनांक 31-05-2018 तक ऑनलाइन अंक स्वीकार किये गये थे। विश्वविद्यालय के निर्देशों के बावजूद कुछ संस्थाओं द्वारा नियत तिथि तक ऑनलाइन अंक नहीं भरे गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी संस्थाओं को एक अवसर देते हुये ऑनलाइन अंक आर्थिक दण्ड सहित स्वीकार किये जायें।

ऐसी संस्थाओं हेतु एमपीऑनलाइन लि. के पोर्टल पर लिंक दिनांक 20-06-2018 से 22-06-2018 सायं 5:30 तक ऑनलाइन अंक भरने हेतु खोली जायेगी। आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा के अंक रू.150/-प्रति प्रविष्टि आर्थिक दण्ड एवं आंतरिक/प्रायोगिक अंक Fill But Not Send to MCRPV रू.100/-प्रति प्रविष्टि आर्थिक दण्ड की दर से स्वीकार किये जा सकेंगे। आर्थिक दण्ड एमपीऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ही लिया जायेगा। अध्ययन संस्थाएँ इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

  
(डॉ. राजेश पाठक)  
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन क्र./परीक्षा 2018/6501

दिनांक 15-06-2018

### प्रतिलिपि

1. समस्त प्रभारी, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संचालक, एमपी ऑनलाइन लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट की ओर अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ. राजेश पाठक)  
परीक्षा नियंत्रक